न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
09 / 24	एफएसएस एक्ट, 2006	13 / 03 / 2024

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0नि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर ।
—आवेदक

बनाम

1. श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द्र जैन (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्सः– पारस जैन डेयरी उधाड़मल बालाजी के पास ,मिर्जापुर गंगापुर सिटी। —अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनाकः– 29.07.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 05 / 11 / 2023 को दोपहर 11:45 पी.एम. पर फर्म– पारस जैन डेयरी, उधाड़मल बालाजी के पास, मिर्जापुर गंगापुर सिटी पर पहूंचा मौके पर जो व्यक्ति उपस्थित था उसने स्वयं को विक्रेता व अपना नाम पारस कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द्र जैन बताया एवं श्री पारस कुमार जैन को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाया तथा संस्था का निरीक्षण करने हेतु कहां । संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय क्रीम लगभग 30 किलोग्राम एक प्लास्टिक की टंकी में रखी हुई थी। उक्त क्रीम में गुणवत्ता / मिलावट होने का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना का 2 लीटर क्रीम खरीदकर उसकी कीमत 560 / रू0 विक्रेता श्री पारस कुमार जैन को नगद अदाकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता ने हस्ताक्षर करवाये तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं संदेह कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये । जो न्यायनिर्णयन आवेदनक के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा क्रीम 2 लीटर को एक साफ सूखे चार प्लास्टिक बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर एवं प्रत्येक बोतल में फॉरमलीन की 40–40 बूंदे डालकर बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी के कोड एवं कमांक एच– 3088 दर्ज किये प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप नं0 एच 3088 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के कोस हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागो पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी, जिला-

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढाकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां । जिसे विक्रेता श्री पारस कुमार जैन ने भी पढकर, समझकर एवं सही माननर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति पारस कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं0 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति आउटर कवर में डालकर बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रति एक लिफाफा मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म स0 6 की पुरत पर रसीद प्राप्त की । शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म स0 6 की प्रतियो के आउटरकवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एमएसएसए/2023/1126 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/4651/एक्ट/2023/4772 दिनाक 22.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु क्रीम **Substandard** प्रकृति की पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ क्रीम का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 जुर्माने योग्य अपराध है, साथ ही आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जावे ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त मजदूर पेशा व्यक्ति है। जो छोटी मोटी क्रीम की दुकान करके अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करता है। प्रार्थी अपनी दुकान पर ताजा क्रीम का ही बेचान करता है। उसके बाद में प्रार्थी उक्त क्रीम खराब होने की वजह से छाछ बनाकर मक्खन निकालने के कार्य में लेता है। क्रीम की छाछ बनाने के लिये दो तिहाई मात्रा मे पानी का उपयोग करना पडता है। प्रार्थी ने किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की प्रार्थी पूर्ण रूप से निर्दोष है, साथ ही वकील अभियुक्त ने उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/4651/एक्ट/2023/4772 दिनांक 22.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

विक्रय किया गया खाद्य वस्तु क्रीम **Substandard** प्रकृति का होना पाया गया।यदि आवेदक उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नही था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 50,000 (पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी मे पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी, आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं